



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ 8210-8220 दिनांक: 18-12-19

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. माहसूख मिर्जा, कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुरा-हरदोई बाईपास रोड़, लखनऊ-226013
3. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. प्रो. अब्दुल शकूर खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
5. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
6. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
7. प्रो. पंकज शर्मा, चेररमैन, होम्योपैथी अध्ययन मण्डल, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
8. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
9. प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शल्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
10. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
11. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक

11 दिसम्बर 2019 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का उपवेशन, जो दिनांक 11 दिसम्बर 2019 को प्रातः 11.00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया था, में लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपर्युक्त कार्यवाही विवरण।

भवदीय


कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 49वां उपवेशन

11 दिसम्बर 2019

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/

दिनांक:

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 49वां उपवेशन दिनांक 11.12.2019 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, अध्यक्ष विद्या परिषद्, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. संजीव शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
3. प्रो. अब्दुल शकूर खान, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. योगेश्वरी गुप्ता, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, C/o स्वास्थ्य कल्याण भवन, 10th-A, Institutional Area, सीतापुरा, टोंक रोड़, जयपुर
5. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. प्रो. पंकज शर्मा, चेयरमैन, होम्योपैथी अध्ययन मण्डल, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, जयपुर
7. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
8. प्रो. ओम प्रकाश दवे, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शल्यतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
9. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
10. कुलसचिव, सदस्य सचिव, विद्या परिषद्, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-
11. प्रो. माहसूख मिर्जा, कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड़, लखनऊ-226013

सर्वप्रथम विद्या परिषद् के दिनांक 11 दिसम्बर 2019 को आयोजित उपवेशन में पधारने वाले उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 24 जनवरी 2019 की अनुपालना एवं 22 जुलाई 2019 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	<p>विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 24 जनवरी 2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या- 10 के सम्बन्ध में राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही गई समिति एक माह में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।</p> <p>एजेण्डा बिन्दु संख्या- 11,12,13,15 तक की गठित समितियों को यह निर्देश प्रदान किया गया कि एक माह में अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करावें।</p> <p>शेष एजेण्डा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p> <p>विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 22 जुलाई 2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या- 5 के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर आयुष विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्किल इण्डिया प्रोग्राम हेल्थ सेन्टर, स्किल कॉन्सिल से मान्यता प्राप्त पंचकर्म तकनीशियन (Panchkarma Technician) को प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>इसी प्रकार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पी.जी. डिप्लोमा कोर्स बाबत टी.ए.टी. सी. योगा एवं मोरारजी देसाई नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के पाठ्यक्रम अनुसार कोर्स संचालन हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति गठित करने हेतु एवं समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।</p> <p>एजेण्डा बिन्दु संख्या- 11 के सम्बन्ध में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईंसेज, जयपुर एवं राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर के नियमों का अवलोकन कर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्डानुसार MSE-2016 में शैक्षणिक पदों हेतु वर्णित योग्यतानुसार प्रस्ताव</p>

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		<p>तैयार कर तथा जो अशैक्षणिक पद विश्वविद्यालय सेवानियमों में नहीं है। उनको तैयार करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को एक समिति गठित करने हेतु एवं समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करने बाबत अधिकृत किया गया।</p> <p>एजेण्डा संख्या- 17 के सम्बन्ध में O.79-A के बिन्दु संख्या-VI के अनुसार तीन सदस्यों को विद्या परिषद् द्वारा चयन करने बाबत माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</p> <p>एजेण्डा संख्या- 19(6) के सम्बन्ध में निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण की कार्यवाही न करने पर माननीय कुलपति महोदय को पुनः निरीक्षक नियुक्त करने एवं इस पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।</p> <p>शेष एजेण्डा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
2.	प्रबन्ध बोर्ड के उपवेशन दिनांक 22 जुलाई 2019 में लिए गए निर्णयानुसार बी.एससी. आयुर्वेद (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि, गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने एवं अन्य बिन्दु के सम्बन्ध में।	आगामी दीक्षान्त समारोह में बी.एससी. आयुर्वेद (नर्सिंग) उत्तीर्ण वरियता प्राप्त उपाधि धारकों को गोल्ड मेडल एवं उपाधि प्रदान करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	परीक्षा शाखा से प्राप्त डी.ए.एन. एण्ड पी. के मूल डिप्लोमा प्रमाण-पत्र दिलवाने हेतु विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4.	राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज सीट 50 से 60 वृद्धि हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति के क्रम में।	राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज सीट 50 से 60 वृद्धि हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
5.	राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज सीट 40 से 60 वृद्धि हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति के क्रम में।	राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज सीट 40 से 60 वृद्धि हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति एवं अन्य कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
6.	स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर के चार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुष्टि बाबत। (Organon of Medicine, Practice of Medicine, Psychiatry व Pharmacy)	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
7.	मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुष्टि बाबत (रोग एवं विकृति विज्ञान एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग)	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
8.	कला आश्रम के सत्र 2019-20 की सम्बद्धता पर विचार।	प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही बाबत माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
9.	Certificate program in old age care (Six month) पर विचार।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
10.	Centre for innovation and research पर विचार।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
11.	Centre for human resource development - faculty, student, employees पर विचार।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
12.	International Centre for Ayurveda Studies पर विचार।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
13.	पीएच.डी. ऑर्डिनेन्स में आवश्यक संशोधन सम्बन्धी गठित कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2019 द्वारा संशोधित ड्राफ्ट पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
14.	स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिये Teaching Methodology एवं Hospital Management में वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
15.	आयुर्वेद अध्ययन मण्डल उपवेशन दिनांक 09.12.2019 के निर्णयों पर विचार।	आयुर्वेद अध्ययन मण्डल उपवेशन दिनांक 09.12.2019 के निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही उपरान्त एजेण्डा बिन्दु संख्या- 7 के अनूपुरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या- 2 में परीक्षा शाखा उत्तरपुस्तिकाओं की विश्वविद्यालय में टेबल चैकिंग के साथ-साथ प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थित सम्बन्धित संकाय संस्थानों में गोपनीयतापूर्वक टेबल चैकिंग की व्यवस्था कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्णय के

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
		<p>साथ-साथ सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल कॉपी चेकिंग एवं उत्तरपुस्तिका को स्कैन कर ऑनलाईन मार्किंग करने इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करवाने हेतु भी सर्वसम्मति से अनुमोदित कर माननीय कुलपति महोदय को अधीकृत किया गया।</p> <p>एजेण्डा बिन्दु संख्या- 7 के अनूपुरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या- 3 में अन्तः परीक्षक को प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु राशि रुपये 500/- कन्टीजेंसी के रूप में पुनर्भरण (Reimbursement) देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p> <p>एजेण्डा बिन्दु संख्या- 7 के अनूपुरक एजेण्डा के बिन्दु संख्या- 4 के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यायालय के अन्तरिम आदेशों की पालना में जिन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुमति दी जाती है तथा ऐसे प्रकरणों में कोई न्यायिक विसंगति नहीं है तो छात्रों को अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत किया जाए परन्तु छात्रों से इस आशय का सहमति पत्र एवं शपथ-पत्र प्राप्त किया जाए कि यह कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।</p> <p>आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड की दिनांक 09.02.2019 को सम्पन्न हुई बैठक में एजेण्डा बिन्दु संख्या- 1 से एजेण्डा बिन्दु संख्या- 7 के अनूपुरक एजेण्डा संख्या- 1 तक के सम्बन्ध में बैठक में लिए गए निर्णयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</p>
16.	<p>अनूपुरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।</p> <p>1. शिवप्यारी देवी रूथला विकास संस्थान नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र, नवलगढ़ द्वारा सम्बद्धता शुल्क विलम्ब से जमा कराने के कारण माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति एवं सम्बद्धता प्रदान की गई की पुष्टि बाबत।</p>	<p>1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>2. बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) की डिग्री को स्नातक डिग्री की मान्यता प्रदान करके राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त अन्य विश्वविद्यालयों को अवगत करवाकर इस डिग्री को सूचीबद्ध (listed) किया जायें।</p> <p>3. धन्वन्तरि आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र एवं अस्पताल, झुंझुनू-जयपुर बाईपास, पिपराली सर्किल के पास, सीकर में एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2019-20 की सम्बद्धता की पुष्टि बाबत।</p> <p>4. विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च) के प्रावधानानुसार तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।</p> <p>5. डॉ. परमानन्द उपाध्याय, एसो.प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, यू.सी.ए., जोधपुर एवं सदस्य विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सालय में वर्तमान में कार्यरत “नशामुक्ति इकाई” का विस्तारीकरण कर उसे “Centre for De-addiction and Rehabilitation” के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।</p>	<p>2. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p> <p>3. सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।</p> <p>4. विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा-14(2)(च) के प्रावधानानुसार तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए एक सदस्य के मनोनयन हेतु आयुर्वेद संकाय हेतु डॉ. ए.के. मूर्ति, एन.आई.ए., जयपुर को मनोनीत किया गया। शेष यूनानी संकाय, होम्योपैथी संकाय एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधीकृत किया गया।</p> <p>5. इस पर हुए विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 2 से 8 तक)।

सदस्य कुलसचिव